Hindi Update on Rule 89(4)(C) CGST

COVID-19 केकारणसीबीएसई (CBIC) द्वाराएकनोटिफिकेशननंबर 16/2020-Central Tax Dated 23.03.2020 जारीकियागयाइसकेअंतर्गत Rule 89(4)(C) कोइसमें add कियागयाहैइसको point wise नीचेसमझारहेहैं :-

1. एक्सपोर्टरद्वाराअपनामालविदेशोंमेंएक्सपोर्ट Under Letter of Undertaking/ Bond द्वाराकियाजाताहैइसमेंजोभीइनपुटटैक्सक्रेडिटएकत्रितहोतीहैउसकाएक्सपोर्टर Refund फाइलकरताहै| इस Rule मेंगवर्नमेंटद्वारा एकसंशोधनकियागयाहैजिसमें Clause 89(4)(C) को add कियागयाहै| इस Rule केतहतएक्सपोर्टरयदिअपनामाल domestic market में Sell करताहैतोनिर्यातकिएगएमालका valuation 1.5 times of Domestic मार्केटमेंबेचेगएमालकी value काहोगा।जिसकोहमनिम्नलिखितउदाहरणसेसमझारहेहैं :

   मैन्युफैक्चरकिसीवस्तु कीएकइकाई ₹10000 मेंडोमेस्टिक (Domestic) में सेलकरताहै तथावहएक्सपोर्टभीकरताहै।अगरउसनेएक्सपोर्ट LUT केअंतर्गतकियाहैतथा unutilised credit का proportionate refund भीलगायाहैतोइस Rule केअंतर्गत उसका valuation 15000 मानाजाएगा| अगरउसके एक्सपोर्टमेंगएमालकीकीमत 20000 रुपए हैतोभीइसे ₹15000 हीमानाजाएगा।इसप्रकारमैन्युफैक्चर 10 इकाईएक्सपोर्टकरताहैतोउसकी value Rs.200000/- होगी परंतुइस Rule केकारण उसकेएक्सपोर्टगुड्सकामूल्यांकन Zero Rated Turnover हेतु Rs.150000/- मानाजाएगा| अतःरिफंडकेलिएफार्मूलेमेंडेढ़लाखरुपएकाहीप्रयोगहोगा।

2. गवर्नमेंटने CGST Rules मेंतोअमेंडमेंटकर करदियाहैजबकिसेक्शनमेंइसकाकिसीप्रकारसेइफेक्टनहींदियाहै।अतः

यह Provision Ultra Virus तथा void abintio मानाजाएगा | इसकामतलबयहहुआकियहप्रोविजनकानूनीरूपसेसहीनहींमानाजाएगा|

3. सरकारने Zero Rates Exports कामूल्यांकन 1.5 डॉमेस्टिककेहिसाबसेकरदियाहैपरंतु इसको Adjusted Total Turnover मैंइफेक्टनहींदियागयाहैअतःइसप्रोविजनसेएक्सपोर्टरकोरिफंडक्लेमकममिलेगा| इसकोभीएकउदाहरणसेसमझाजासकताहै:-

ऊपरवालेउदाहरणमेंहीउसकाडोमेस्टिकटर्नओवर ₹15,000 है। एक्सपोर्टटर्नओवर

₹2,00,000/- होगापरंतुउसकी value डेढ़लाखरुपएमानीजाएगी। अगरउसने ₹1,00,000/- की credit लीहै तो refund फार्मूला इसप्रकारहोगा:-

Credit taken/ total turover X export turnover=

1,00,000/ 215000X1,50,000

= 69767.

अगरयहपुरानेपीरियडमें refund फाइलहोता तो तोइसकीकैलकुलेशनइसप्रकारहोती:-

1,00,000/2,15,000X2,00,000= 93023/-

इसप्रकारआपसमझगएहोंगे किहमेंकितनाकम refund मिलेगा।

4. उपरोक्त Provision किसआधारपरबनायागयाहैइसकाअभीतकएक्सपोर्टरकोसमझमेंनहींआरहाहै। यह डेढ़गुनाक्योंरखागयाहैदुगनाया तिगुना क्योंनहींरखागयाहै? इसकाकोईस्पष्टीकरणन हींदियागयाहै।इसकोकरनेकाआधारक्याहैयहभीनहींबतायागयाहै।सरकारनेकोविड-19 उत्पन्नस्थितिमेंउद्योगव्यापारजगतकीपूर्ण सहायताकीहै।ऐसेसमयमेंयहकदम, जिससे exporter कारिफंडकमहोजाताहै, बहुतही दुर्भाग्यपूर्णहै।हमसरकारसेआशाकरतेहैंकि इसप्रोविजन कोजल्दसेजल्दहटावेयाइ समेंजल्दसेजल्दसुधारकरावे|